अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

अधिहरण वाद सं० 13 आर० 28/2022–23

राज्य

बनाम

07
22.06.2023

प्रवीण कुमार जायसवाल पिता प्रयाग भगत, निवासी प्रिन्सेस अपार्टमेन्ट, फ्लैट सं० 304, डॉन बास्को स्कूल रोड, हेसाग, हटिया, थाना जगरनाथपुर, जिला रॉची ...... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक बेडो, रॉची के द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, स० अ० नि०, बेडो थाना के द्वारा दिनांक 17.08. 2022 को अग्रसारित अनुरोध पत्र पर आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत उन्होने बेड़ो काण्ड सं० 55/2022 दिनांक 28.05.2022, धारा 414 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act 1957 (Amendment Rule 2015), 4/54 J.M.M.C Rules 2004 (Amendment Rules) and 4/9/10 The Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining transportation and storage) Rules 2017 मे जप्त हाईवा वाहन सं० –JH-01CK-3384 को राजसात करने की अनुशंसा किया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार – वादी जुनस टुटी जनसेवक, बेड़ो ब्लॉक, रॉची को अधोहस्तक्षरी के कार्यालय ज्ञापांक सं० 415/वि० व्य दिनांक 24.03.2022 के आलोक मे अवैध खनन परिवहन की रोकथाम करने हेतु दण्डाधिकारी के रूप मे प्रतिनियुक्त किया गया है। वादी जुनस टुटी के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी जुनस टुटी दिनांक 28.05.2022 के द्वितीय पाली मे बारीडीह ढाबा के पास पुलिस बल के साथ तैनात होकर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान करीब 19:00 बजे एक चिप्स से लदा हाईवा वाहन सं० – JH-01CK-3384 का चालक चेकिंग देखकर गाड़ी को मुख्य सडक पर खड़ा कर भाग गया। पुलिस बल के सहयोग से इधर उधर खोजबीन करने पर भी उक्त चालक का

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

कुछ पता नही चला। तत्पश्चात् पुलिस बल एवं चालक के समक्ष उक्त चिप्स से लदा हाईवा को जप्त कर पुलिस बल के चालक के सहयोग से थाना लाया गया एवं संबंधित वाहन मालिक एवं चालक के विरूद्ध बेड़ो काण्ड सं० 55/2022 दिनांक 28.05.2022 धारा 414 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act 1957 (Amendment Rule 2015), 4/54 J.M.M.C Rules 2004 (Amendment Rules) and 4/9/10 The Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining transportation and storage) Rules 2017 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। पर्यवेक्षणोपरान्त उपरोक्त काण्ड प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा वाहन सं० – JH-01CK-3384 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया।

नोटिस निर्गत होने के उपरान्त इस वाद मे विपक्षी अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा समयावेदन समर्पित करने के बावजुद भी कारण पृच्छा समर्पित नही किया गया। विगत तिथि को बार बार पुकार करने के बावजुद विपक्षी की ओर से इस वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नही हुए। अतः प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त यह वाद एकपक्षीय अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्धारित हुआ।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा न तो उपरोक्त जप्त वाहन को मुक्त करने हेतु कोई ठोस आधार ही प्रस्तुत किया गया, न ही उनके द्वारा बालु परिवहन संबंधित कोई वैध कागजात इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहनो मे चिप्स (लघु खनिज) के अवैध परिवहन से सरकारी राजस्व को क्षति पहुँची है।

अतः पुलिस उपाधीक्षक, बेड़ो, रॉची द्वारा अग्रसारित अनुशंसा में अन्तर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त श्री राजेन्द्र

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

प्रसाद यादव, स० अ० नि०, बेडो थाना के द्वारा दिनांक 17.08.2022 को अग्रसारित प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए बेड़ो काण्ड सं० 55/2022 दिनांक 28.05.2022 मे जप्त हाईवा वाहन सं०–JH-01CK-3384 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस उपाधीक्षक, बेडो, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
राँची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 13:52:41 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d